



कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय
पंचदीप भवन : सी.आई.जी. मार्ग : नई दिल्ली-2

सं० एन-12/15/1/2007-यो० एवं वि०

दिनांक:-23.10.2009

सेवा में,

विषय:- क. रा. बी. (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 59 में संशोधन ।

महोदय,

निदेशानुसार सूचित किया जाता है कि भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस-38012/1/2009-एसएस-1 दिनांक 14.09.2009 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के संशोधित नियम 59 में दिनांक 01.09.2009 से अंत्येष्टी खर्च की राशि 3,000/- रूपये से बढ़ाकर 5,000/- रूपये करने का प्रावधान किया गया है। इस अधिसूचना की, जो कि भारत के राजपत्र, दिनांक 13 सितम्बर - 19 सितम्बर, 2009 में भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित हुई है, प्रति सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्न: यथोपरि

भवदीय,

(आर.सी. शर्मा)

संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

प्रतिलिपि: उपर्युक्त भारत के राजपत्र की प्रति सहित मुख्यालय कार्यालय के सभी अधिकारी/ शाखाएं को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

पत्रिका एवं विश्वास कक्ष
P & D CELL

दिनांक 29/09/09
Date 29/09/09

सं. 35] नई दिल्ली, सितम्बर 13-सितम्बर 19, 2009, शनिवार/भाद्र 22-भाद्र 28, 1931
No. 35] NEW DELHI, SEPTEMBER 13-SEPTEMBER 19, 2009, SATURDAY/BHADRA 22-BHADRA 28, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(डाक विभाग)

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2009

सा.का.नि. 134.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा खेल प्रशिक्षण और खेल निरीक्षक (भर्ती) नियम, 2001 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, डाक विभाग में खेल प्रशिक्षकों और खेल निरीक्षकों के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग (खेल प्रशिक्षक और खेल निरीक्षक) भर्ती नियम, 2009 हैं।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पदों-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2009

सा.का.नि. 136.—जबकि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियमावली, 1950 में पुनः संशोधन करने के लिए कतिपय मसौदा नियमों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की दिनांक 20 मई, 2009 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 82 के तहत भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 24 मई, 2009 में इससे प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों से भारत के जिस राजपत्र में उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गयी हो उसकी प्रतियां आम जनता को उपलब्ध कराये जाने की तिथि से पैंतालिस दिन की अवधि समाप्त होने तक आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था;

और जबकि उक्त अधिसूचना की प्रतियां आम जनता को 13 सितम्बर, 2008 को उपलब्ध करवा दी गयी थी;

और जबकि सरकार द्वारा उससे प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार किया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात् एतद्द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियमावली, 1950 में पुनः संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात् :-

- (1) इन नियमों को कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) (संशोधन) नियमावली, 2009 कहा जाएगा ।
- (2) वे 1 सितम्बर, 2009 से प्रभावी होंगे ।
- (3) कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियमावली, 1950 में, नियम 59 में, "तीन हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर "पांच हजार रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

[फा. संख्या एस-38012/1/2009-एसएस-1]

एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

पाद टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 212 दिनांक 22 जून, 1950 के तहत प्रकोशित तथा बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए थे :-

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. सा.का.नि. 80 दिनांक 9-1-1960 | 19. सा.का.नि. 76 दिनांक 22-1-1991 |
| 2. सा.का.नि. 1200 दिनांक 27-9-1960 | 20. सा.का.नि. 368 दिनांक 27-3-1992 |
| 3. सा.का.नि. 594 दिनांक 29-3-1963 | 21. सा.का.नि. 522 दिनांक 16-11-1996 |
| 4. सा.का.नि. 240 दिनांक 6-2-1964 | 22. सा.का.नि. 582(अ) दिनांक 23-12-1996 |
| 5. सा.का.नि. 1834 दिनांक 18-12-1964 | 23. सा.का.नि. 225 दिनांक 21-4-1997 |
| 6. सा.का.नि. 474 दिनांक 19-3-1965 | 24. सा.का.नि. 226 दिनांक 22-4-1997 |
| 7. सा.का.नि. 1082 दिनांक 29-6-1966 | 25. सा.का.नि. 185 दिनांक 1-9-1998 |
| 8. सा.का.नि. 545 दिनांक 14-4-1967 | 26. सा.का.नि. 129 दिनांक 29-3-2000 |
| 9. सा.का.नि. 500 दिनांक 6-3-1968 | 27. सा.का.नि. 210 दिनांक 27-3-2001 |
| 10. सा.का.नि. 677 दिनांक 29-3-1968 | 28. सा.का.नि. 28 दिनांक 2-1-2004 |
| 11. सा.का.नि. 1106 दिनांक 22-5-1968 | 29. सा.का.नि. 172(अ) दिनांक 4-3-2004 |
| 12. सा.का.नि. 2113 दिनांक 28-11-1968 | 30. सा.का.नि. 316 दिनांक 18-9-2004 |
| 13. सा.का.नि. 306 दिनांक 7-3-1974 | 31. सा.का.नि. 322(अ) दिनांक 17-5-2005 |
| 14. सा.का.नि. 1122 दिनांक 1-10-1974 | 32. सा.का.नि. 591(अ) दिनांक 22-9-2006 |
| 15. सा.का.नि. 56 दिनांक 23-12-1976 | 33. सा.का.नि. 465(अ) दिनांक 4-7-2007 |
| 16. सा.का.नि. 60 दिनांक 5-1-1982 | 34. सा.का.नि. 685(अ) दिनांक 31-10-2007 |
| 17. सा.का.नि. 129 दिनांक 9-2-1987 | 35. सा.का.नि. 254(अ) दिनांक 31-3-2008 |
| 18. सा.का.नि. 199 दिनांक 6-3-1990 | 36. सा.का.नि. 207(अ) दिनांक 27-11-2008 |

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 14th September, 2009

G.S.R. 136.—Where as certain draft rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950 were published as required under sub-section (1) of Section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No. G.S.R. 82, dated the 20th May, 2009, in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated 24th May, 2009 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the said notification was published were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on 24th May, 2009;

And whereas objections and suggestions received from persons likely to be affected thereby have been considered by the Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Section 95 of the said Employees' State Insurance Act, 1948, the Central Government, after consultation with Employees' State Insurance Corporation, hereby makes the following rules further to amend the Employees' State Insurance (Central), Rules, 1950, namely :—

1. These rules may be called the Employees' State Insurance (Central) (Amendment) Rules, 2009.
2. They shall be deemed to have come into force from the 1st September, 2009.
3. In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, in Rule 59, for the words "three thousand rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted.

[F.No. S-38012/1/2009-SS-I]

S. D. XAVIER, Under Secy.

Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number SRO 212, dated the 22nd June, 1950 and subsequently amended vide the following notifications :—

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. G.S.R. No. 80, dated 09-01-1960 | 19. G.S.R. No. 76, dated 22-01-1991 |
| 2. G.S.R. No. 1200, dated 27-09-1960 | 20. G.S.R. No. 368, dated 27-03-1992 |
| 3. G.S.R. No. 594, dated 29-03-1963 | 21. G.S.R. No. 522, dated 16-11-1996 |
| 4. G.S.R. No. 240, dated 06-02-1964 | 22. G.S.R. No. 582(E), dated 23-12-1996 |
| 5. G.S.R. No. 1834, dated 18-12-1964 | 23. G.S.R. No. 225, dated 21-04-1997 |
| 6. G.S.R. No. 474, dated 19-03-1965 | 24. G.S.R. No. 226, dated 22-04-1997 |
| 7. G.S.R. No. 1082, dated 29-06-1966 | 25. G.S.R. No. 185, dated 01-09-1998 |
| 8. G.S.R. No. 545, dated 14-04-1967 | 26. G.S.R. No. 129, dated 29-03-2000 |
| 9. G.S.R. No. 500, dated 06-03-1968 | 27. G.S.R. No. 210, dated 27-03-2001 |
| 10. G.S.R. No. 677, dated 29-03-1968 | 28. G.S.R. No. 28, dated 02-01-2004 |
| 11. G.S.R. No. 1106, dated 22-05-1968 | 29. G.S.R. No. 172(E), dated 04-03-2004 |
| 12. G.S.R. No. 2113, dated 28-11-1968 | 30. G.S.R. No. 316, dated 18-09-2004 |
| 13. G.S.R. No. 306, dated 07-03-1974 | 31. G.S.R. No. 322(E), dated 17-05-2005 |
| 14. G.S.R. No. 1122, dated 01-10-1974 | 32. G.S.R. No. 591 (E), dated 22-09-2006 |
| 15. G.S.R. No. 56, dated 23-12-1976 | 33. G.S.R. No. 465(E), dated 04-07-2007 |
| 16. G.S.R. No. 60, dated 05-01-1982 | 34. G.S.R. No. 685(E), dated 31-10-2007 |
| 17. G.S.R. No. 129, dated 09-02-1987 | 35. G.S.R. No. 254(E), dated 31-03-2008 |
| 18. G.S.R. No. 199, dated 06-03-1990 | 36. G.S.R. No. 207(E), dated 27-11-2008 |

32519509-4